केंद्रीय गृहमंत्री ने मध्य प्रदेश में 55 जिलों में 'पीएम कालेज आफ एक्सीलेंस' का उद्घाटन किया, कहा

देश की संस्कृति को एकजुट करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 जुलाई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के लिए 'पीएम कालेज आफ एक्सीलेंस' का आनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य के बीच नई शिक्षा नीति लाने के प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता की सराहना की।

मुख्य कार्यक्रम इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में हुआ, जिसे 'पीएम कालेज आफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया गया है। शाह ने अन्य राज्यों से पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जब देश स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अहम भूमिका होगी। विकसित राष्ट्र बनने के लिए शिक्षा की नींव मजबूत करनी होगी और प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 वर्षों की जरूरतों को पूरा करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर दूरदर्शिता का परिचय दिया है।

गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति न केवल हमारे छात्रों को दुनिया के लोगों के बराबर खड़ा करेगा, बल्कि देश की संस्कृति को भी एकजुट करेगा। यह मात्रा पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता पर केंद्रित है और छात्रों को अलग तरीके से सोचने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने छात्रों के लाभ के लिए हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भी मध्य प्रदेश की प्रशंसा की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। यादव ने कहा कि इन कालेज की स्थापना 450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से की गई है। अधिकारियों के अनुसार, इन कालेजों में सभी पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के अनुसार पेश किए जाएंगे और वे रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करेंगे।

'जलवायु परिवर्तन को उचित जवाब है एक पेड़ मां के नाम अभियान'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 जुलाई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को उस अभियान में हिस्सा लिया, जिसका मकसद एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व कीर्तिमान बनाना है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का उपयुक्त जवाब है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर पांच जून को मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत देशभर में लगभग 140 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। शाह ने कहा कि विकास हो रहा है और हम सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। मोदी जी ने हमें पीछे देखने और आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम करने को कहा है। पर्यावरण की चिंता सिर्फ देश के लिए ही नहीं, बल्कि हर जगह अहम हो गई है। कार्बन डाइआक्साइड और मोनोआक्साइड ने ओजोन के स्तर को कम कर दिया है और इसकी परत में छेद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे तापमान में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन को महसूस किया जा रहा है। मोदी जी द्वारा शुरू किया गया अभियान इसका उपयुक्त जवाब है।

गृह मंत्री ने कहा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर सुबह में कहा कि आज एक विशेष दिन है, जब इंदौरवासी 11 लाख पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत वह भी आज इंदौर (मध्य प्रदेश) के रेवती रेंज के बीएसएफ परिसर में पौधे लगाएंगे। शाह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक रहा है और वृक्षारोपण को सरकार ने जन-जन की चेतना का विषय बनाया है।

पंद्रह हजार तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ मंदिर में दर्शन किए, कुल संख्या तीन लाख के पार

जम्मू, 14 जुलाई (भाषा)।

दक्षिण कश्मीर में रविवार को करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए, जिसके साथ ही अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या तीन लाख के आंकड़े को पार कर गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

16वें दिन रविवार को 14,974 तीर्थयात्रियों ने यात्रा की और बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 3,09,957 तक पहुंच गई है।

UPSIDA
कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
निर्माण खण्ड-पंचम, ई.पी.आई.पी., शास्त्रीपुरम, आगरा

ई-निविदा सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विभिन्न जनपदों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में सिविल विकास/अनुरक्षण कार्यों हेतु यूपीसीडा एवं अन्य सरकारी विभागों /सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/नगर निकायों में अर्ह श्रेणी के पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से पूर्णकालीन ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत रु0 (लाख में)
1	Providing & Fixing cantilever grantry sign board Road & Direction board at I.A. Mathura Site-B, Distt. Mathura	22.43
2	Providing & Fixing cantilever grantry sign board Road Direction board & guide map at I.A. Sikandra Site-A, Site-B, site-C E.P.I.P. Foundry Nagar I.M.C. & Leather Park Distt. Agra.	33.03
3	Estimate for C/o Cabin and Repair work for new Staff in SM & RM Office, CD-5, UPSIDA , E.P.I.P. AGRA.	25.13

निविदा दिनांक 15.07.2024 की पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 06.08.2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है, प्राप्त ई-निविदा को दिनांक 07.08.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे या इसके पश्चात् खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा अपलोड किये गये समस्त शपथ प्रपत्रों की मूल प्रतियों को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 06.08.2024 की सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त कराना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को Consider नहीं किया जायेगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी website: www.onlineupsida.com पर स्थापित ई-लिंक यूपीएलसी की website:- http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड-पंचम, आगरा

हरिद्वार में यात्रियों से भरी बस पुल से गिरी, 20 यात्री घायल

जनसत्ता संवाददाता
हरिद्वार, 14 जुलाई।

हरिद्वार में देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी।

बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में कई यात्री सवार थे, जिन्हें चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस देहरादून से मुरादाबाद जा रही थी। दीनदयाल पार्किंग के पास अचानक बस अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग में पुल से नीचे गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही सीपीयू, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत बचाव का काम शुरू किया। एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। बस में दो दर्जन से अधिक यात्री सवार थे जिनमें से करीब 20 यात्रियों को चोटें आई हैं। अभी तक किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी यात्रियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहर कोतवाल के कुंदन सिंह राणा और अन्य अधिकारी मौके पर हैं और हादसे की जांच की जा रही है।

बीएमडब्लू को शीर्ष अदालत का निर्देश

ग्राहक को 50 लाख रुपए का मुआवजा दें

नई दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने लग्जरी कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2009 में विनिर्माण संबंधी गड़बड़ी वाली कार की आपूर्ति करने पर, एक ग्राहक को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें प्रमुख कार निर्माता कंपनी के खिलाफ अभियोजन को रद्द कर दिया गया था और कंपनी को दोषपूर्ण वाहन के स्थान पर शिकायतकर्ता को नया वाहन देने को कहा गया था। पीठ ने 10 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि निर्माता 'बीएमडब्ल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' को विवादित सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान में 50 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। निर्माता को यह राशि 10 अगस्त 2024 या उससे पहले शिकायतकर्ता को देनी होगी।

पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि जून-जुलाई 2012 में ही कार निर्माता ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुराने वाहन को एक नए वाहन से बदलने की पेशकश की थी। पीठ ने कहा कि हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस पर सहमति नहीं जताई। अगर शिकायतकर्ता ने वाहन का इस्तेमाल किया होता, तो आज की तारीख तक उसका मूल्य कम हो गया होता। सुनवाई के दौरान उसे बताया गया कि शिकायतकर्ता ने पुराना वाहन कार डीलर को लौटा दिया था। शिकायतकर्ता ने 25 सितंबर 2009 को 'बीएमडब्लू 7 सीरीज' कार खरीदी थी, जिसमें कुछ ही दिन बाद खराबी आने लगी।

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

ऑलमाइटी एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ऑलमाइटी एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	06 मार्च, 2009
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74900DL2009PTC188244
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	दूसरी मंजिल, ई–172, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश II, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली–110048
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	01 जुलाई 2024 हालाँकि, 12 जुलाई, 2024 को आदेश की प्रति के साथ आईआरपी को इसकी सूचना दे दी गई थी
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	28 दिसंबर, 2024 (दिवालियापन प्रारंभ तिथि से 180 दिन जो 01 जुलाई 2024 है)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	मनसिज आर्य पंजी. सं.:IBBI/IPA-002/IP-N00907/2019-2020/12939 एएफए : 03 दिसंबर, 2024 तक वैध
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	बी–182, सूरजमल विहार, पूर्वी दिल्ली, सनातन धर्म मंदिर के पास, दिल्ली–110092 ईमेल : pcsmansij@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	बी–182, सूरजमल विहार, पूर्वी दिल्ली, सनातन धर्म मंदिर के पास, दिल्ली–110092 ईमेल : cirpalmighty@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26 जुलाई, 2024
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	आज तक आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	आज तक आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(क) वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) आज तक आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक 01 जुलाई, 2024 को ऑलमाइटी एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (आदेश की प्रति 12 जुलाई, 2024 को प्राप्त हुई)

ऑलमाइटी एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 26 जुलाई 2024 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित एक वित्तीय लेनदार को, फॉर्म सीए में वर्ग [वर्ग निर्दिष्ट करें] के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के सामने सूचीबद्ध तीन दिवालियापन पेशेवरों में से अपने अधिकृत प्रतिनिधि की पसंद का संकेत देना होगा – लागू नहीं

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
मनसिज आर्य
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल,ऑलमाइटी एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-002/IP-N00907/2019-2020/12939

दिनांक : 14.07.2024
स्थान : नई दिल्ली

आग लगने से हंदवाड़ा में सात घर जले

श्रीनगर, 14 जुलाई (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में आग लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया और कम से कम सात घर जल गए। अधिकारियों ने बताया कि हंदवाड़ा के रजवार क्षेत्र में शनिवार देर रात लगी आग तेजी से आसपास के घरों में फैल गई पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों की सहायता से अग्निशमन और आपातकालीन कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग्निकांड में सात घर और दो गोशाला जल गईं जबकि आग में जलकर सात गाय भी मर गईं। आग बुझाने में एक व्यक्ति घायल हो गया।

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय : 502, टॉवर–ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013,
परिमंडल कार्यालय : 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत। अधोहस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनायें निर्गत की हैं, जिनमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं) ("उक्त ऋणकर्ता(ओं)") को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं) में अंकित राशियों का, जो नीचे भी दी गई हैं, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवसों के अंदर उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य प्रलेखों / आलेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋणानुबंध के अंतर्गत भुगतानयोग्य, यहां इसमें निम्नांकित राशियों का निम्नांकित तिथि(यों) से लेकर के भुगतान तथा / अथवा वसूलीकरण की तिथि तक राशियों पर आकलित भावी लागूयोग्य ब्याज के साथ सीजीसीएल को भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा सीजीसीएल के पास क्रमशः बंधककृत रखा गया है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या LNMEFRD000084174 (पुराना) 80400005597686 (नया) LNMEP11000122078 (पुराना) 80300005721440 (नया) (ओखला शाखा) हरप्रीत (उधारकर्ता) श्रीमती करमजीत कौर, सुश्री पिंकी नेगी (सह–उधारकर्ता)	04–जुलाई–24 रु. 5058644	प्लॉट नं. 32 धारक भूमि एवं भवन वाली संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश, क्षेत्रफल 160 वर्ग गज, खसरा नं. 30, किला नं. 16/1 (2–18), मस्ट. नं. 31, किला नं. 20 (8–0) में से, गांव डबुआ, तहसील बड़खल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121001 में स्थित निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व– अन्य की संपत्ति, पश्चिम– अन्य की संपत्ति, उत्तर– सड़क 15 फुट, दक्षिण– सड़क 11 फुट।
2.	(ऋण खाता संख्या LNMEAHE000095478 (पुराना) 80300005526120 (नया) (अहमदाबाद शाखा) परेश जितेंद्रभाई पटेल (उधारकर्ता) श्रीमती पूनमबेन परेशभाई पटेल (सह–उधारकर्ता)	03–जुलाई–24 रु. 3163491	दुकान संख्या 122 धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो ब्लॉक–डी, प्रथम तल पर, लगभग 494 वर्ग फुट, अर्थात् 45.89 वर्ग मीटर (अधि निर्मित) निर्माण क्षेत्र और अविभाजित हिस्सा 21.37 वर्ग मीटर का, शुकन एवेन्यू के नाम से विदित स्कीम में, कलोल, तालुका कलोल, जिला गांधीनगर, गुजरात–382721 के पंजीकरण उप–जिले में सर्वे संख्या 1008, एफपी संख्या 191, टीपीएस संख्या 05 (कलोल – ओला – बोरिसाना) वाली भूमि के रूप में विद्यमान उसमें स्थित तथा निम्नानुसार सीमाबद्ध है : पूर्व– दुकान संख्या 121, पश्चिम– दुकान संख्या 123, उत्तर– उपमार्ग, दक्षिण– पीछे की ओर।

यदि उक्त ऋणकर्तागण उपर्युक्तानुसार सीजीसीएल को भुगतान करने में विफल होंगे तो सीजीसीएल लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त ऋणकर्ताओं के संपूर्ण जोखिमों पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागूयोग्य नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों के समक्ष कार्रवाई करेगी। उक्त ऋणकर्ताओं को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे उपर्युक्त परिसंपत्तियों का सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

स्थान : फरीदाबाद / गांधी नगर, दिनांक : 15–07–2024
हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी) कृते कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल)

चाल के पांच कमरों के ढह जाने से तीन महिलाएं घायल

मुंबई, 14 जुलाई (भाषा)।

मुंबई के कुर्ला इलाके में रविवार दोपहर एक चाल में पांच कमरे ढह जाने से तीन महिलाएं घायल हो गईं।

अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा करीब दो बजे अंधेरी-कुर्ला मार्ग पर राधा नगर चाल में हुआ। इस हादसे में आफरीन शेख (25), रासिका नादर (35) और एक्सटर नादर (67) घायल हो गईं।

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 501, सॉलकन ऑरम, जसोला जनपद केन्द्र, नई दिल्ली–110025
सीआईएन : यू65900डीएल2020पीएलसी366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित ऋणकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से प्राप्त किए गए स्वर्ण ऋण / ऋणानेक जो हैं वे बैंक द्वारा निर्गत व्यक्तिगत सूचनाओं सहित अनेक मांगों एवं सूचनाओं के बाद भी उनके द्वारा समायोजित नहीं किए गए हैं। समस्त ऋणकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखे गए स्वर्णाभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है तथा तद्नुसार 29–07–2024 को अप. 03.00 बजे उन शाखा परिसरों में नीलामी की तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है जहां से ऋण प्राप्त किया गया था / किए गए थे। ऋणकर्ताओं सहित समस्त सर्वसाधारण, खाताधारक और जनसाधारण नीलामी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार इस नीलामी में प्रतिभागिता कर सकते हैं।

शाखा	खाता संख्या	खाताधारक का नाम	पिता / पति–पत्नी का नाम	पता	खाता खोलने की तिथि	पेऑफ
गाजियाबाद	101542511782	सलिग राम	पुत्र भगत राम	26/1, यूपी महल, भगत राम, थनगर ग्राम, 166/1, शिमला, थनगर पोस्ट, थनगर पोस्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश 171210	05/06/2023	49940.28
गाजियाबाद	101542512237	सलिग राम	पुत्र भगत राम	26/1, यूपी महल, भगत राम, थनगर ग्राम, 166/1, शिमला, थनगर पोस्ट, थनगर पोस्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश 171210	04/09/2023	44356.45

नीलामी तिथि 29-07-2024 को अप. 03.00 बजे है

बैंक के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिये नीलामी से किसी खाता को समाप्त करने अथवा नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of offer dated 30th May, 2024 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

NAKODAS

NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED

(CIN- L15510MH2013PLC249458)

Our Company was incorporated as "Nakoda Group of Industries Private Limited" at Nagpur, Maharashtra as a Private Limited Company under the provision of Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated October 22, 2013 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. On July 18, 2016 our Company acquired the business of proprietorship concerns of our promoter Mr. Pravin Kumar Choudhary viz. M/s. Navkar Processors through Takeover agreement. Consequently, business of this proprietorship firm was merged into our company. Subsequently our Company was converted into a public limited company pursuant to special resolution passed by the members in Extraordinary general meeting held on January 19, 2017 and the name of our Company was changed to "Nakoda Group of Industries Limited" vide a Fresh Certificate of Incorporation dated February 06, 2017, issued by Registrar of Companies, Maharashtra Mumbai. The Corporate Identification Number (CIN) of the Company is L15510MH2013PLC249458. For further details please refer to the section titled "General Information" beginning on page 46 of this Letter of offer.

Registered Office: 239, Bagad Ganj, Nagpur – 440008, Maharashtra, India
Tel: +91-07122778824, **Email id:** info@nakodas.com; **Website:** www.nakodas.com
Contact Person: Mr. Jayesh Choudhary, Whole Time Director

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. PRAVIN NAVALCHAND CHOUDHARY AND MR. JAYESH CHOUDHARY

ISSUE OF UPTO 50,90,056 PARTLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF NAKODA GROUP OF INDUSTRIES LIMITED ("NGIL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 25 PER EQUITY SHARE (INCLUDING PREMIUM OF RS. 15 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING RS. 1272.51 LACS@ TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 4 (FOUR) PARTLY PAID UP EQUITY SHARES FOR EVERY 10 (TEN) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 30TH MAY, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS 2.5 TIMES OF FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 151 OF THIS LETTER OF OFFER.

@assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to the Rights Equity Shares.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Thursday, 13th June, 2024 and closed on Friday, 28th June, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Monday, 24th June, 2024. Out of the total 1,885 Applications for 1,35,97,728 Rights Equity Shares, 639 Applications for 8,41,169 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer. The total numbers of valid applications were 1,246 for 1,23,36,477 Rights Equity Shares, which was 242.36% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and National Stock Exchange of India Limited, the Designated Stock Exchange on Friday, July 05, 2024, approved the Basis of Allotment for 50,90,056 partly paid -up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for allotment.

1. The break -up of valid applications received through ASBA (after Technical Rejections) is given below:

Applicants	Number of valid applications received	Number of Rights Equity Shares Allotted - against Entitlement (A)	Number of Rights Equity Shares Allotted - Against valid additional shares (including fractional shares accepted) (B)	Number of Rights Equity Shares Allotted - (A+B)
Eligible Equity Shareholders	1,038	9,19,959	12,41,521	21,61,480
Renouncees	208	29,28,576	0	29,28,576
Total	**1,246**	**38,48,535**	12,41,521	**50,90,056**

2. Information regarding applications received:

Category	Valid Applications Received		Equity Shares Applied for			Equity Shares Allotted		
	Number	%	Number	Value (In Rs.)	%	Number	Value (In Rs.)	%
Eligible Equity Shareholders	1,038	83.31%	71,98,785	4,49,92,406.25	58.35%	21,61,480	1,35,09,250	42.46%
Renouncees	208	16.69%	51,37,692	3,21,10,575	41.65%	29,28,576	1,83,03,600	57.54%
Total	1,246	**100.00%**	**1,23,36,477**	**7,71,02,981.25**	**100.00%**	**50,90,056**	**3,18,12,850**	**100.00%**

Intimations for Allotment / Refund / Rejections Cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed on July 11, 2024. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on July 06, 2024. The listing application was executed with BSE and NSE on 08th July, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on July 11, 2024. No physical shares were allotted in the Rights Issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE and NSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on BSE on or about July 18, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on July 12, 2024 and July 11, 2024 respectively.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Draft Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is less than Rs. 5000.00 lakhs. The present Issue being of less than Rs. 5,000 lakhs, our Company is in compliance with first proviso to Regulation 3 of the SEBI ICDR Regulations and our Company shall file the copy of the Letter of Offer prepared in accordance with the SEBI ICDR Regulations with SEBI for information and dissemination on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" beginning on page 145 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 145 of the LOF.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

REGISTRAR TO THE ISSUE

Bigshare Services Private Limited
Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai– 400093.
Tel No.: +91 22–62638200.
Website: www.bigshareonline.com
E-mail ID: investor@bigshareonline.com/rightsissue@bigshareonline.com
Contact Person: Mr. Suraj Gupta
SEBI Registration No: INR000001385

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

For Nakoda Group of Industries Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Jayesh Choudhary
Whole Time Director
DIN: 02426233

Date: July 12, 2024
Place: Nagpur, Maharashtra

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer dated May 30, 2024 with the Securities and Exchange Board of India, BSE and NSE. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 24 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.